न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10/2020 (राजसमन्द डिक्री)

शम्भूलाल पिता शंकरलाल, जाति बलाई,निवासीकुंवारिया,तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. पुष्करलाल पिता स्व. प्रभूलाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भरत कुमार पिता स्व. प्रभूलाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रेखा पिता स्व. प्रभूलाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती राधा देवी बेवा स्व. प्रभूलाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
5. सत्यनारायण पिता मांगीलाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
6. विनोद पिता भेरा, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
7. हिम्मत पिता भेरा, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती चुन्नी बेवा स्व. भेरा, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
9. नारायणलाल पिता हीरालाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
10. उदयलाल पिता हीरालाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
11. केशरबाई पिता हीरालाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
12. श्रीमती मांगीबाई बेवा स्व. हीरालाल, जाति तेली, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहस[illegible]वारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:18 IST
Reason: SelfAttested

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,राजसमन्ददिनांक
08–06–2016प्रकरण संख्या 20/2015

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अक्षय पालीवाल अभि. रे.सं.1 से 4
3–राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13

———::———

निर्णयदिनांक31–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम कुंवारिया में वर्तमान खाता संख्या 824 के आराजी नंबर 1767 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1768 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा स्थित है, जिनके बीच में आराजी चाह नंबर 1765 रकबा 9 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के संयुक्त आधिपत्य की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का 1/3 हिस्सा होकर हक अधिकार एवं कब्जा निहित है। उक्त भूमि अविभाजित होने से वादीगण कृषि भूमि के किसी विशिष्ट भाग का स्वतंत्र रूप से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 बिना विभाजन के ही भूमि का रूपान्तरण कराये बिना विशिष्ट भाग पर निर्माण करने पर आमादा है एवं मौके पर करीब 10 ट्रिप डलवाकर कच्चा माल मटेरियल इकठ्ठा कर रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर एवं उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 08–06–2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–06–2020 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अक्षय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:18 IST
Reason: SelfAttested

पालीवालउपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अपीलान्ट ने न्यायालय से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि राजस्व कैम्प में प्रकरण का निर्णय हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए बताया कि अपीलान्ट प्रोपर तामिल के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे इस लिए न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये। अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से ही थी, फिर भीअपीलान्ट द्वारा अपील लगभग 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इतने लम्बे विलम्ब का कोई उचित कारण इन्होंने नहीं बताया है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व कैम्प लगाने का आशय पक्षकारान की सहमति एवं आपसी समझाईश के आधार पर निर्णय करना है, लेकिन उक्त प्रकरण मं कोई सहमति नहीं हुई है, न ही समझाईश की गयी है, बल्कि अपीलान्ट को सुने बिना उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन में आराजी चाह नंबर 1765 रकबा 9 बिस्वा का भी विभाजन कर दिया है, जबकि कानूनन आराजी चाह नंबर का विभाजन किये जाने की अनुमति नहीं है, न ही उक्त चाह का मौके पर विभाजन हो सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:18 IST
Reason: SelfAttested

कोई ध्यान नहीं दिया है।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वडिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29–03–2016 अनुसार पत्रावली प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक 24–05–2016 के लिए नियत थी, किन्तु प्रतिवादी का जवाब लिये बिनापत्रावली नियत दिनांक 24–05–2016 के स्थान पर सीधे ही दिनांक 08–06–2016 को राजस्व कैम्प में रखकर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना का समुचित अवसर नहीं मिला है।तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2016अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–10–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:18 IST
Reason: SelfAttested